संख्या-23/2026/705/001- 78-02099/39/2026

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट के सापेक्ष उ0प्र0 ए0आई0 मिशन के अन्तर्गत यू0पी0 ए0आई0 (पी0एम0यू0) हेतु प्राविधानि धनराशि रू0 225 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 1,83,04,915 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/पी-201/535/2026, दिनांक 10-08-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ए0आई0 मिशन अन्तर्गत यू0पी0 ए0आई0 पी0एम0यू0 हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 के बजट अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत (2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-40- उत्तर प्रदेश ए0आई0 मिशन -42- अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 225 करोड़ (रूपये दो सौ पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 1,83,04,915 (रूपये एक करोड़, तिरासी लाख, चार हजार,नौ सौ पन्द्रह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/ 10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एम.ओ.यू. / निविदा / कार्यादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा- जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक, सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026- 231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए राज्य समन्वयक, सीईजी उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद के लिए किया जायेगा। जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं पी.एम.यू. में नियोजित जनशक्ति एवं कार्यावधि के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

(10) राज्य समन्वयक, सीईजी धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे राज्य समन्वयक, सीईजी / प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) राज्य समन्वयक, सीईजी यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

(13) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर राज्य समन्वयक, सीईजी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व राज्य समन्वयक, सीईजी का होगा।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यादि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए राज्य समन्वयक, सीईजी जिम्मेदार होगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,83,04,915 (रुपये एक करोड़, तिरासी लाख, चार हजार, नौ सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072024000 उत्तर प्रदेश ए.आई. मिशन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-39-X-2026-27,दिनांक 05.10.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अर्जुन देव भारती,

संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-23(1)/2026/705(1)/001- 78-02099/39/2026-दिनांक यथोक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0,लखनऊ ।
8. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
11. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम,आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अर्जुन देव भारती,

संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।